न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 128 / 2023

उनवान

1. धनराज,
2. जगदीश,
3. सांवरलाल पुत्र भंवरलाल समस्त जाति माली निवासीगण रामसर तहसील नसीराबाद

— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री निर्मल कुमार जैन

बनाम

1. इन्दरचन्द,
2. कैलाश पुत्र लादू,
3. गोमा पत्नि कालु,
4. ज्ञाना,
5. जाना पुत्री लादू,
6. टीना पुत्री सांवरा जाति माली जरिये माता सुमित्रा पत्नि सांवरा,
7. नरेन्द्र पुत्र सावंरा जरिये माता सुमित्रा पत्नि सांवरा,
8. पुखराज पुत्र लादू,
9. मनफुल पुत्री हरदेव,
10. महेन्द्र,
11. राजु पुत्र लादू,
12. राधा पत्नी छीतर,
13. लाडी पत्नि लादू,
14. सुमित्रा पत्नि सावंरा समस्त निवासीगण रामसर तहसील नसीराबाद,
15. बैक आफ बडौदा शाखा रामसर तहसील नसीराबाद,
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :– 1 से 15 अनुपस्थित
16 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिनांक :– 29/5/24

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806/1914 के हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 की आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का अलग–अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 प्रकरण में अनपुस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने के कारण जवाब नही पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नही की गयी।
अधिवक्ता वादी ने वादी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते है। वादीगण विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806/1914 के हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिकी व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

धनराज बनाम इन्दरचन्द

दावा बाबत :– 53, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 128 / 2023
पेश करने की दिनांक – 03.08.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक नौरतमल जैन मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806 / 1914 के हाल खसरा नम्बर 886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादीगण व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29 माह 5 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद